

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

(शुद्धिपत्र)

क्रमांक/आब./ठेका/2017/1053,

रायपुर, दिनांक 28/02/2017


प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय : वर्ष 2017-18 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अन्तर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिन्दुओं पर शासन निर्देश।

—:0:—

इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देश क्रमांक/आब./ठेका/2017/1014-1015, रायपुर दिनांक 27.02.2017 के कंडिका क्रमांक 3 (क) की सारिणी के कॉलम 2 में अंकित शब्द एवं अंक "वर्ष 2016-17" के स्थान पर शब्द एवं अंक "वर्ष 2017-18" पढ़ा जावे। एवं कंडिका क्रमांक 3 (क) की सारिणी के कॉलम 2 में टंकित अनुक्रमांक अंक "1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7," के स्थान पर अनुक्रमांक अंक "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10," पढ़ा जावे।


(ए. क. अग्रवाल)
आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/आब./ठेका/2017/1054,

रायपुर, दिनांक 28/02/2017

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव मान. मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, छ.ग.
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, छ.ग.
7. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,
8. समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़,
9. समस्त अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय, रायपुर,
10. वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन. आई. सी. मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
11. संयुक्त संचालक (वित्त) मुख्यालय, रायपुर,

12. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
13. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़,
14. उपायुक्त आबकारी जिला-रायपुर/सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-दुर्ग/
राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/जांजगीर चांपा/रायगढ़, एवं
15. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़